


आदेश

प्राचार्य, एस.बी.डी.राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू) के पत्र क्रमांक 7008 दिनांक 23.05.2018 द्वारा महाविद्यालय विकास समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर स्ववित्तपोषी(एसएफएस) योजनान्तर्गत एस.बी.डी.राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू) में स्नातकोत्तर स्तर पर वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जैनोलोजी, संस्कृत व अंग्रेजी विषय वर्ष 2018–19 से खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।



क्रमांक: एफ 4(302) आयो/आकाशि/एसएफएस/2017/पार्ट/239 दिनांक 11 जुलाई, 2018
प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदया राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महाविद्यालय को बिना विलम्ब शुल्क के अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
5. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, चूरू।
8. संयुक्त निदेशक,(अकादमिक) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. प्राचार्य एवं अध्यक्ष, एस.बी.डी.राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू) को निर्देशित किया जाता है कि अध्यापन कार्य सेवानिवृत्त व्याख्याताओं द्वारा ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. दिलीप गोयल)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4 (402)आयो / निकाशि / 2011-12 / 162

दिनांक 15.06.2018

कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय :— एस एफ एस योजनान्तर्गत में संचालित विभिन्न राजकीय महाविद्यालय में नये विषय स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर अस्थाई सम्बद्धता करवाने बाबत।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से प्राप्त निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय खोले गये हैं। (संलग्न आदेश की प्रति)। राजकीय महाविद्यालयों ने उक्त विषयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। विश्वविद्यालयों में ऑनलाईन अस्थाई सम्बद्धता की अंतिम तिथि निकल गयी है।

अतः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बिना विलम्ब शुल्क अस्थाई सम्बद्धता प्रदान कराने का कष्ट करावें।

संलग्न उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष एटी. पेडणेकर)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 15.06.18

क्रमांक एफ 4 (402)आयो / निकाशि / 2011-12 / 162

प्रतिलिपि:— प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।

(डॉ. दिलीप गोयल)

संयुक्त निदेशक, आयोजना

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ 4(302) आयो/आकाशि/एसएफएस/2017/ पार्ट/ ११८ दिनांक २२ मई, २०१८

आदेश

निम्नांकित महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने महाविद्यालय विकास समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर स्ववित्तपोषी(एसएफएस) योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नानुसार विषय/संकाय/वर्ग/पाठ्यक्रम संचालन की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	PG/UG	स्ववित्तपोषी(एसएफएस)योजनान्तर्गत विषय/संकाय/वर्ग/पाठ्यक्रम
1	चौ.बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	PG	संगीत (कंठ), भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, A.B.S.T., गणित व वनस्पतिशास्त्र।
2	श्रीमती पाना देवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली(जयपुर)।	UG	इतिहास, भूगोल व समाजशास्त्र।
		PG	राजनीति विज्ञान।
3	एम.एल.बी.राजकीय महाविद्यालय, नोखा (बीकानेर)।	PG	समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान रसायनशास्त्र व ए.बी.एस.टी।
4	राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सौभर लेक(जयपुर)।	PG	वनस्पतिशास्त्र व भूगोल।
5	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ़(चूरू)	PG	अंग्रेजी साहित्य व राजनीति विज्ञान।
6	राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा।	PG	जी.पी.ई.एम व गृहविज्ञान।
7	एस.बी.डी.राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर (चूरू)।	PG	रसायनशास्त्र।

उपर्युक्त स्वीकृति हेतु किसी भी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ 4(302) आयो/आकाशि/एसएफएस/2017/ पार्ट/ ११८ दिनांक २२ मई, २०१८

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदया राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय कोटा/महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर/चूरू/श्रीगंगानगर/ बीकानेर/ कोटा।
- संयुक्त निदेशक(अकादमिक) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- प्राचार्य एवं अध्यक्ष, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, को निर्देशित किया जाता है कि अध्यापन कार्य सेवानिवृत्त व्याख्याताओं द्वारा ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- रक्षित पत्रावली।

३.२२.११९
संयुक्त निदेशक (आयोजना)